प्रेस नोट
दिनांक 19.08.2026

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री योगेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना को0नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 761/2026, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त- सूरज सिंह पुत्र अरविन्द सिंह निवासी शीतल सिंह पुरवा मौजा कोयली जंगल थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा को रेलवे स्टेशन के गेट नं0 02 से 100 मी0 पूर्व दिशा में रानी जोत जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.08.2026 को प्रभारी निरीक्षक विन्देश्वरी मणि त्रिपाठी मय हमराह क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि सूचना मिली कि मलखान सिंह पुत्र माताप्रसाद सिंह निवासी भदौरिया पुरवा जगदीशपुर पथरीबाजार थाना कोतवाली देहात एक शातिर अपराधी है, जो संगठित गिरोह का गैंग लीडर है और अपने सहअभियुक्त सदस्यगण 01. कौशल किशोर उर्फ सचिन चौहान, 02. सूरज सिंह, 03. शुभम सिंह व 04. सलमान खान के साथ मिलकर एक संगठित अपराधिक गिरोह कायम कर रखा है। जो अपने गिरोह के साथ आर्थिक, भौतिक एवं दुनियाबी लाभ के उद्देश्य से चोरी व मोटरसाइकिल चोरी कर बेचने जैसा घटना कारित करता है। उक्त गिरोह का कृत्य उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) के अन्तर्गत दण्डनीय पाया गया। गिरोह-चार्ट तैयार कर अनुमोदन उपरान्त अभियोग पंजीकृत किया गया।
जिसमें आज दिनांक 19.08.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा उक्त गिरोह के सदस्य सूरज सिंह पुत्र अरविन्द सिंह निवासी शीतल सिंह पुरवा मौजा कोयली जंगल थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा को रेलवे स्टेशन के गेट नं0 02 से 100 मी0 पूर्व दिशा में रानी जोत जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. सूरज सिंह पुत्र अरविंद सिंह निवासी शीतल सिंह पुरवा मौजा कोयली जंगल थाना कोतवाली देहात जनपद गोंडा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-761/2026, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

1- अति0प्र0नि0 अरविन्द कुमार यादव थाना कोतवाली नगर गोण्डा।
2- उ0नि0 अजय कुमार सिंह
3- हे0का0 सुनील यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 19.08.2026, थाना कोतवाली नगर
जनपद गोण्डा।

थाना को0नगर पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करने के 02 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल बरामदः-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री योगेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 763/26, धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आये 02 आरोपी अभियुक्तों- 01. सुरज राव, 02. अखिलेश को जेल पुलिस चौकी से आगे सड़क के किनारे से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादी पवन कुमार गिरी पुत्र स्व0 राम भरोसे गिरी निवासी जिगर इण्टर कालेज अयोध्या रोड़ जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर पर सूचना दिये कि दिनांक 18.08.2026 की रात्रि में अपने घर के सामने अपनी मोटरसाइकिल ड्रीम योगा (UP43U5543) खड़ी की थी सुबह जब घर से बाहर आया तो बाइक नही थी। काफी खोजबीन किया नही पता चला। तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में मु0अ0सं0- 763/26, धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।
आज दिनांक 19.08.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा प्रकाश में आये 02 आरोपी अभियुक्तों-01. सुरज राव, 02. अखिलेश को जेल पुलिस चौकी से आगे सड़क के किनारे से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. सुरज राव पुत्र सीताराम उम्र करीब 20 वर्ष निवासी राजापुरवा मौजा सतपेडिया थाना पयागपुर बहराइच।
02. अखिलेश पुत्र मालिक उम्र करीब 19 वर्ष निवासी बरगदही मौजा शिवगहा थाना पयागपुर बहराइच

अनावरित अभियोग

01. मु0अ0सं0- 763/2026 धारा 303(2) बी0एन0एस0, थाना को0नगर, जनपद- गोण्डा

बरामदगी-

01. 01 अदद मोटरसाइकिल (UP43U5543) बरामद

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 विभव तिवारी
02. का0 अनिल यादव
03. का0 पंकज कुमार
04. का0 अफजल अहमद

मीडिया सेल, गोण्डा।